उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 07/2017–18

श्रीमती मनोरमा देवी ..... अपीलकर्ता

बनाम्

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

05/03 /2019

यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 07/2017–18 श्रीमती मनोरमा देवी पति पंकज यादव, सा0 नवाडीह यादव टोला, प्रखंड सरैयाहाट द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। यह अपील बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 428 दिनांक 11.10.2017 जिसमें अपीलकर्त्ता को सेविका पद से चयन मुक्त करने के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता को आँगनबाड़ी केन्द्र यादव टोला थाना सरैयाहाट के लिये मार्च 1999 में आँगनबाड़ी सेविका पद पर चयन किया गया एवं 12 अप्रैल 1999 से नियमित रूप से केन्द्र में बिना किसी शिकायत का कार्य कर रही थी। उन्हें फरवरी 2004 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अचानक उन्हें 2007 में एक कारण पृच्छा का नोटिस निर्गत किया गया जिसका अनुपालनार्थ उनके द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। इसके पश्चात भी उन्हें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 428 दिनांक 11.10.2017 द्वारा चयन मुक्त किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः चयन मुक्त आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय एवं बकाया मानदेय का भुगतान किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा नियमित रूप से केन्द्र का संचालन नहीं किया जाता था। वह बासुकिनाथ में एक कोचिंग सेंटर चलाती है और वह बराबर केन्द्र में अनुपस्थित रहती थी। ग्राम के प्रधान एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त को एक आवेदन देकर सेविका के विरूद्ध शिकायत किया गया था कि नवाडीह यादव टोला का आँगनबाड़ी केन्द्र दो वर्षो से बंद है। उपायुक्त के निदेश के आलोक में महिला पर्यवेक्षक द्वारा जाँच की गई एवं उनपर लगाया गया आरोप

सही पाया गया। इसके पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 120 दिनांक 19.03.2009 द्वारा अपीलकर्त्ता से कारण पृच्छा की मांग की गई। अपीलकर्त्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल की गई। इस कारण पृच्छा को असंतोषजनक पाये जाने के कारण पत्रांक 177 दिनांक 10.05.2010 द्वारा पुनः कारण पृच्छा की मांग की गई। किन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा न तो कारण पृच्छा दाखिल किया गया और न ही नियमित रूप से ही कार्यो का निष्पादन किया गया। फलतः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 283 दिनांक 14.07.2010 द्वारा अपीलकर्त्ता को चयन मुक्त करने हेतु उपायुक्त, दुमका से अनुरोध किया गया।

दिनांक 17.05.2014 को पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में एक आम सभा किया गया जिसमें नवाडीह यादव टोला के आँगनबाड़ी सेविका यानी अपीलकर्त्ता को चयनमुक्त करने एवं नया सेविका चयन करने का अनुरोध किया गया। इस आधार पर भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट द्वारा अपीलकर्त्ता को चयन मुक्त करने एवं नयी सेविका के चयन हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात सरकार के मुख्य सचिव, झारखंड रांची का ज्ञापांक 1384/सी0एस0 दिनांक 24.05.2017 तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, दुमका का पत्रांक 1581 दिनांक 12.09.2017 के आदेशानुसार अपीलकर्त्ता को केन्द्र में लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 428/बा0 दिनांक 11.10.2018 द्वारा दिनांक 15.09.2017 से सेविका पद से चयन मुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को केन्द्र में लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेविका पद से चयन मुक्त किया गया है। जो सही प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

16 Dec 19

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

2/12/19
उपायुक्त
दुमका।